

नगरपालिका परिषद हरदा जिला हरदा (म.प्र.)

Email- noharda@mpurban.gov.in

<https://nagarपालिकाहरदा.org>

क्रमांक 248/लोकनिर्माण/2026

conn. 0757722238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 15/5/26

// आनलाईन निविदा //


निम्न कार्यो हेतु निविदा बेबसाईड www.mptender.gov.in निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु दरें आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 14/5/26 से 12/6/26 तक क्य की जा सकती है। बीड सबमीट 12/6/26 समय 5:30 तक निविदा संशोधित होने की स्थिति में बेबसाईड पर ही देखा जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईड पर देखी जा सकती है। निविदाओ में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी. को छोडकर बुलाए जा रहे है। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी. एस.टी.का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जावेगा।

क.	एन आई टी नं.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि रूपये	निविदा फार्म मूल्य रूपये	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC-7	GST-8	8	9	10
1	1940	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में हरनारायण यादव जी के मकान से खले जी के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग आई. एस.एस.आर. दि.08.11. 2025 से प्रभावशील	2094636	377034	15710	5000	2 माह
2	1941	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 में इंदौर रोड़ से नागबाबू के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1056976	190255	7927	2000	2 माह
3	1942	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में बिल्लौर जी के मकान से हनुमान मंदिर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			2988957	538012	22417	5000	2 माह
4	1943	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 सुदामा नगर कॉलोनी में जगदीश गौर के मकान से सत्यनारायण झिंझोरे के मकान तक सी. सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1541955	277551	11565	2000	2 माह
5	1944	04/05/26	वार्ड क्रमांक 32 कुंजबिहार कॉलोनी में बल्लू जी के मकान से जगदीश धार्मिक से राधेश्याम विश्वकर्मा से श्री यादव जी से धार्मिक के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1982569	356862	14870	2000	2 माह
6	1945	04/05/26	वार्ड क्रं. 25 में एस.एस.जी. बी. स्कूल के सामने गली नम्बर 01 मे सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1165792	209842	8743	2000	2 माह

	92/50/170 04/05/26	वार्ड कं 17 श्यामा नगर कॉलोनी में मोहन राजपूत जी के मकान से लेकर गुड्डु दुबे जी के घर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1347244	242504	10104	2000	2 माह
	4947 92/50/170 04/05/26	वार्ड कं 20 स्थित विवेकानंद कॉम्प्लेक्स पानी की टंकी के पास खाली मैदान पर पेवर ब्लॉक फिक्सिंग कार्य।			1599054	287829	11993	2000	2 माह
9	4948 92/50/170 04/05/26	वार्ड कं 19-20 अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स (नई सब्जी मंडी) में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य।			1356138	244105	10171	2000	2 माह

शर्त :-

- निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक 120 दिन तक की होगी।
- निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व ठेकेदार को उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति फर्म की होने की दशा में साझेदारी की डीड एवं पावर आफ एटार्नी की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
- अमानत राशि आनलाईन भुगतान द्वारा / डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रॉक्कलन ड्राईंग-डिजाईन एवं संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिका लोक निर्माण शाखा से ली जा सकती है।
- म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 का नियम 217 (ख) अनुसार निविदाकारो से अनुबंध संपादन के समय 3 प्रतिशत निष्पादन राशि कार्य की अनुमानित लागत मूल्य की जमा कराई जाना होगी।
- ठेकेदार का ई.पी.एफ.पंजीयन होना अनिवार्य है।
- कार्य में जी.एस.टी. नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
- अन्य शर्तें न.पा.के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है।
- दरे 10 प्रतिशत आई.एस.एस.आर.से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारन्टी जमा करवानी होगी।
- 7 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी।
- पृथक-पृथक देयको के पूर्व रॉयल्टी प्रस्तुत करना होगी।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

क्रमांक/यां.प्र./भवन/2026/58

नर्मदापुरम्, दिनांक - 23/02/26

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका हरदा,
जिला - हरदा।

विषय:- वार्ड क्र. 19-20 अन्नपूर्णा काम्पलेक्स (नई सब्जी मंडी) में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।

संदर्भ:- Project Approval No. PA-0000509873 Project No. PW1-EN2-0318-25-065.

विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा वार्ड क्र. 19-20 अन्नपूर्णा काम्पलेक्स (नई सब्जी मंडी) में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य के प्राक्कलन प्रस्तुत कर तकनीकी स्वीकृति चाही गई। निविदा लागत की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जावे। निर्मित भवन की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर नवीन निर्माण करने के पूर्व शासकीय इंजीनियरिंग कालेज से रिपोर्ट प्राप्त की जाने की शर्त के साथ MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्रं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	वार्ड क्र. 19-20 अन्नपूर्णा काम्पलेक्स (नई सब्जी मंडी) में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 02.08.2021 से प्रभावशील जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	13,56,138.00 2,44,105.00 कुल योग 16,00,243.00

शर्त:-

1. निर्माण के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रिट आदि का शासकीय/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे। कार्य के चल देयक. भुगतान के पूर्व उपयोग की समस्त सामग्रियों एवं कांक्रटी की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे एवं कार्य की विधिवत निविदा आमंत्रित की जावे।
2. म.प्र. नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के उपनियम 3) के खण्ड) दो (के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
3. म.प्र. न.पा) प्रेसीडेंट-इन-कांउमिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य (नियम 1998 के नियम 7 (3) अनुसार संबिदाकारों में अनुबंध सम्पादन के समय पांच प्रतिशत प्रतिभूमि राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जाम कराई जावे।
4. म.प्र. न.पा) प्रेसीडेंट-इन-कांउमिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य (नियम 1998 के नियम 5 (3) एक) (ग्यारह) (के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी
5. निर्माणकार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्ट्रेक्चर की भार वहन क्षमता का परीक्षण शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जावे। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भवन की संरचना डिजाईन सक्षम स्ट्रेक्चरल शासकीय इंजीनियर से करवाई जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे। डिजाईन डिजाईन में भूकम्प अवरोधी तकनीक का समावेश किया जावे।
6. सक्षम जिला प्रशासन अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
7. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में किया जावे।
9. विस्तृत प्राक्कलन के साथ सेनेटरी एवं इलेक्ट्रिकल के आयटम का समावेश कर एकजाई तकनीकी स्वीकृति एवं अन्य स्वीकृतिया प्राप्त की जाए।
10. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
11. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ति ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
12. कार्य टुकड़ों में विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. कार्य स्थल पर संबंधित निर्माण कार्य का कोई अनिवार्य रूप में लगाया जावे, साथ ही कार्य प्रारंभ के पूर्व एवं कार्य समाप्ति पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफ तैयार कराये जावे।
14. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नज़ूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक गन शो.सी/सहमति भी प्राप्त की जावे।
15. निर्माण कार्य करने के पूर्व प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय कि गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

16. ग्राम निविदा कोटेशन की दनों की तुलना निकाय के क्षेत्र अथवा नजदीकी लोक निर्माण विभाग/ गृह निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग लोक स्या0 यांत्रिकी विभाग के समान कार्यों की वर्तमान प्रचलित दरों से तुलना की जाकर, निविदा मिति के स्पष्ट अभिप्राय के माथ पत्रिन प्रस्ताव पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने स्पष्ट मत अंकन कर, नियमानुसार पी.आई.सी./परिचय से मक्षम स्वीकृति प्राप्त करने निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेंसी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
17. म.प्र. शान्त, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र .F-6-18/1018-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु.1 00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
19. भवन में रैन वाटर हार्वैस्टिंग तकनीक का उपयोग करना होगा। निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी का होगा।
20. निविदा दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक) विनियमन एवं समाप्ति (अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप-05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार से उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
21. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
22. नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जावे अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी
23. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
24. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
25. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
26. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
27. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में किया जावे। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. प्राप्त कर कार्य करें।
28. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
29. निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
30. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
31. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एवं अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानान्तरण करवाये जाने के पश्चात प्रश्नाधिन कार्य काराया जावे। शर्तों का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
32. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये विना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए विना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
33. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
34. Non SOR Item का अनुमोदन निविदा जारी करने के पूर्व इस कार्यालय से किया जाना सुनिश्चित करें
35. संलग्न- प्राक्कलन।

कार्यालय-यांत्रिकी
नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0000463931

ULB: 0318 (Harda Nagar Palika)

Department: Public Works

Work: W-19-20 Annapurna Complex (New Sabji Mandi) Me Boundrywall
Nirman Karya

Demand ID: DM-0000458920

PAC: 1356138.97

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Coun ts	Nos	Lang th	Brea dth	Dept h	Volu me	Area	Weig ht	Quant ity	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount
1	NII-2.6.1	ALL KINDS OF SOIL		1.0	220.0	0.2	0.2	8.8			8.8	M3	151.0	1,328.80	18.0	1,567.98
1	NII-16.3.1	300 MM DIA PILES		90.0	3.0						270.0	M	1223.0	330,210.00	18.0	389,647.80
1	NII-16.8.1	300 MM DIA PILES		-90.0	3.0						-270.0	M	111.0	-29,970.00	18.0	-35,364.60
1	NII-2.18.1	MOORUM/HARD COPRA		1.0	220.0	0.2	0.1	4.4			4.4	M3	478.0	2,103.20	18.0	2,481.78
1	NII-19.1.6	COLUMNS, PILLARS, PIERS, ABUTMENTS, POSTS AND STRUTS.		90.0	1.0	1.8			1.8		162.0	M2	362.0	58,644.00	18.0	69,199.92
1	NII-19.1.5	LINTELS, BEAMS, PLINTH BEAMS, GIRDERS, BRESSUMERS AND CANTILEVERS.		2.0	220.0	0.3			66.0		132.0	M2	270.0	35,640.00	18.0	42,055.20
1	NII-19.1.5			2.0	220.0	0.1			22.0		44.0	M2	270.0	11,880.00	18.0	14,018.40
1	NII-5.1.1	CEMENT CONCRETE GRADE M-20 (NOMINAL MIX) WITH 20 MM MAXIMUM SIZE OF STONE AGGREGATE.		1.0	220.0	0.2	0.3	13.2			13.2	M3	5435.0	71,742.00	18.0	84,655.56
1	NII-5.1.1			1.0	220.0	0.2	0.1	4.4			4.4	M3	5435.0	23,914.00	18.0	28,218.52
1	NII-5.2.1	CEMENT CONCRETE GRADE M-20 (NOMINAL MIX) WITH 20 MM MAXIMUM SIZE OF STONE AGGREGATE.		90.0	0.2	0.3	1.8	0.108			9.72	M3	5656.0	54,976.32	18.0	64,872.06
1	VII-2021-5.11.4	Thermo-Mechanically Treated bars. (Fe 500 D or more)		1.0					4375.0	4375.0		KG	58.0	253,750.00	18.0	299,425.00
1	NII-6.8	BRICK WORK WILL WELL BURNT OPEN BHATTA BRICKS CRUSHING STRENGTH NOT LESS THAN 25KG/CM ² AND WATER ABSORPTION NOT MORE THAN		1.0	220.0	0.2	1.8	79.2			79.2	M3	3868.0	306,345.60	18.0	361,487.81
1	NII-6.8			-90.0	0.2	0.3	1.8	0.108			-9.72	M3	3868.0	-37,596.96	18.0	-44,364.41
1	II-13.1.2	1:6 (1 cement: 6 sand)		1.0	220.0	1.8			396.0		396.0	M2	137.0	54,252.00	18.0	64,017.36
1	II-13.2.2	1:6 (1 cement: 6 sand)		1.0	220.0	1.8			396.0		396.0	M2	159.0	62,964.00	18.0	74,297.52
1	NII-13.39	TWO OR MORE COATS ON NEW WORK		1.0					792.0		792.0	M2	58.0	45,936.00	18.0	54,204.48
1	NII-10.14.1.2	IN GRATINGS, FRAMES, GUARD BAR, LADDER, RAILINGS, BRACKETS, GATES AND SIMILAR WORKS.		1.0					500.0	500.0		KG	92.0	46,000.00	18.0	54,280.00

WBS NO	SOR ITEM	Description	Coun ts	Nos	Long th	Brea dth	Dept h	Volu me	Area	Walg ht	Quanti ty	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount
1	NII-10.25.1	MADE OF G.I. WIRE.		1.0	220.0	0.6			132.0		132.0	M2	485.0	64,020.00	18.0	75,543.60

WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	W-19-20 Annapurna Complex (New Sabji Mandi) Me Boundrywall Nirman Karya	1,356,138.96
	Total PAC	1356138.97

GST: 244105.01
Gross: 1600243.98